

गृह मंत्रालय



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में तीन नए कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

पिछली सरकार की मुख्यमंत्री ने सिंडिकेट, कटमनी और भय के साम्राज्य को बचाने के लिए तीन नई न्याय संहिताएं लागू नहीं की थीं, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने आते ही इन्हें लागू कर 'भय नहीं, भरोसे' का वादा पूरा किया

नागरिकों के सम्मान, संपत्ति की सुरक्षा और समयबद्ध न्याय को प्राथमिकता देने वाली मोदी सरकार की नई न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी के जरिए तेज और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करेंगी

ई-FIR, जीरो FIR, अनिवार्य FSL जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, नई न्याय व्यवस्था को तेज, आधुनिक, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित बनाएंगे

बंगाल ने लंबे समय तक बम, हिंसा और भय का दौर देखा, अब सरकार और कानून बदलने के साथ 'भय की जगह भरोसे' का संकल्प जमीन पर उतर रहा है

कम्युनिस्टों के कैडर राज और पिछली सरकार के गुंडाराज के बाद अब बंगाल में कानून का राज स्थापित हो रहा है

पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार द्वारा जारी तीन टोल-फ्री नंबर से प्रदेश, कटमनी, सिंडिकेट और अवैध टोल वसूली के कल्चर से मुक्त होगा

मोदी सरकार पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध है, वहीं घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पूरी तरह स्पष्ट है

सीमा सुरक्षा के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराकर शुभेंदु अधिकारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है

कटमनी, सिंडिकेट और अवैध टोल वसूली के खिलाफ टोल-फ्री व्यवस्था शुरू कर शुभेन्दु अधिकारी सरकार ने जनता को सीधे शिकायत और कार्रवाई का रास्ता दिया है

बंगाल के किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए लिए गए फैसले दिखाते हैं कि शुभेन्दु अधिकारी सरकार का फोकस केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि जनकल्याण और विकास पर भी है

आयुष्मान भारत, उत्तर बंगाल में कैंसर अस्पताल, नई महिला बटालियन और किसानों के लिए सहायता, ये फैसले बंगाल में सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास की नई दिशा तय कर रहे हैं

शुभेन्दु जी ने 100 दिनों में घोषणापत्र के आधे से अधिक वादे पूरे करने का दावा कर यह संदेश दिया है कि बंगाल में अब घोषणाओं की नहीं, काम और परिणाम की राजनीति होगी

प्रविष्टि तिथि: 21 AUG 2026 7:36PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में तीन नए कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेन्दु अधिकारी, केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविन्द मोहन और आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री महेश दीक्षित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में नवीन न्याय संहिताओं पर अमल शुरू हो गया था लेकिन पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार ने इसके नोटिफिकेशन नहीं जारी किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ऐसा इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि नवीन न्याय संहिताओं पर अमल होते ही यहां सिंडिकेट, कट मनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य चूर चूर हो जाता। पश्चिम बंगाल के चुनावों में हमने जनता से वादा किया था कि हम भय नहीं भरोसे की सरकार देंगे। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी जी ने पद संभालते ही सबसे पहले नवीन न्याय संहिताओं को राज्य में लागू करने का काम किया, जिससे भय की जगह भरोसे की सरकार की शुरुआत हुई।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां एक प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है कि तीनों न्याय संहिताएं किस प्रकार से नागरिकों, उनकी संपत्ति और सम्मान को सुरक्षित करेंगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन में रविन्द्र संगीत से गूंजता यह प्रदेश बम धमाकों से डरता था और यहां एसिड अटैक होते थे। आर जी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेशखाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती थी। श्री शाह ने कहा कि अब यहां सरकार बदलने के बाद कानून भी बदल रहा है और 15 साल बाद फिर से राज्य में कानून का राज सुनिश्चित हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संदेश दिया था कि यहां भय नहीं भरोसे का शासन होगा, वो अब बंगाल में ज़मीन पर उतरता हुआ दिख रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने नवीन न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है जिससे पुलिस को जांच के दौरान ज़्यादा तकनीकी साक्ष्य मिलेंगे जिसके कारण न्याय मिलने की गति बढ़ेगी। प्रॉसीक्यूशन, पुलिस और न्याय व्यवस्था में लगने वाले समय को कम करने के कानून प्रावधान इन संहिताओं में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में राज्य में नवीन न्याय संहिताओं पर पूर्ण अमल के बाद किसी भी एफआईआर में तीन साल

में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल सकेगा। ज़ीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है जिसका सबसे बड़ा फायदा बाहर पढ़ रही यहां की बच्चियों, बहनों और बेटियों, बैंकिंग फ्रॉड के पीड़ितों और देश में कहीं भी काम कर रहे बंगाल के नागरिकों को होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि नई न्याय प्रणाली दंड-केन्द्रित नहीं बल्कि पीड़ित-केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को इनमें प्राथमिकता दी गई है। 7 वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक विज्ञित और रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी ई-डॉक्यूमेंट स्वीकारने के लिए अब अदालतें न्यायिक रूप से बाध्य हैं। सिख दंगों में तीन दशकों के बाद भी न्याय नहीं हुआ, भोपाल गैस त्रासदी में न्याय मिलने में 26 साल लगे, अजमेर सामूहिक दुष्कर्म में 32 साल लग गए। अब इन तीन T - Technology, Transparency और Timeline - से पूरी न्याय व्यवस्था बदलने वाली है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बंगाल में दो काम हो रहे हैं। पहला, न्यायिक व्यवस्था बदल रही है और टोल टैक्स, सिंडिकेट, कट मनी और भ्रष्टाचार का खात्मा हो रहा है और सरकार जनता के साथ खड़ी दिख रही है। उन्होंने कहा कि पहले यहां कैडर का राज था, कम्युनिस्टों के सासन में भी कैडर का राज था और पिछली सरकार में गुंडों के कैडर का राज था। अब शुभेन्दु जी की सरकार में कानून का राज प्रस्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल कानून के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब यहां हमारी सरकार है और हम 6 माह में बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता दे देंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकता प्रदान करने के अधिकार बंगाल सरकार के आठ कलेक्टरों को दे दिए हैं। जितने भी शरणार्थी हैं उन सब को सुनिश्चित रूप से सम्मान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी। बंगाल में हमारी सरकार का अटल फैसला है कि हम एक एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर पश्चिम बंगाल से निकाल देंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए हमें भूमि चाहिए थी जो हमें मिल गई। बंगाल सरकार ने लगभग 1129 एकड़ भूमि बाड़ लगाने के लिए दे दी है। जनसांख्यिकी परिवर्तन पर बनी समिति में भी सहयोग करने के लिए बंगाल सरकार ने आश्वासन दिया है। कट मनी और अवैध कमीशन बंद करने के लिए एक टोल फ्री नंबर शुभेन्दु अधिकारी जी ने शुरू कर दिया है। इस नंबर पर कॉल कर कट मनी मांगने वालों की शिकायत करें, कट मनी लेने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी बंगाल सरकार करेगी। सिंडिकेट के लिए भी हमने यहां एक टोल फ्री नंबर चालू किया है, रोड टैक्स वसूलने वालों के लिए भी हमने एक टोल फ्री नंबर चालू कर दिया है। ये तीनों टोल फ्री नंबर कट मनी, सिंडिकेट और टोल टैक्स लेने वालों की संस्कृति को बंगाल से हमेशा के लिए उखाड़कर फेंक देंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने आलू उगाने वाले किसानों से कहा था कि आपका आलू ओडिशा, झारखंड और बिहार जाने से अब कोई नहीं रोकेगा। शुभेन्दु जी ने सरकार बनने के पहले ही दिन आलू की निकासी पर से प्रतिबंध हटा लिया। यहां सातवां वेतन आयोग लागू करने को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 20% डीए घोषित कर दिया गया है और युवाओं की आयु में छूट देने का काम भी हमारी बंगाल सरकार ने किया है। हर दीदी को ₹3000 देना भी शुरू हो गया है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को ₹5 लाख तक का मुक्त इलाज शुरू कर दिया गया है। मातंगी हाजरा और रानी शिरोमणि बटालियन की भी घोषणा हो गई है और उत्तर बंग में कैंसर अस्पताल भी बनाने की शुरुआत कर दी गई है।

किसानों को 6 हजार की जगह 9000 रूपए देने का जो हमने वादा किया था वो भी शुभेन्दु अधिकारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 5 साल के लिए बने घोषणा पत्र के 43% काम शुभेन्दु जी ने 100 दिन में पूरे कर दिए हैं। लंबे समय के बाद बंगाल में जनता की बात सुनने वाली सरकार आई है। पहले यहां सुनवाई गुंडे करते थे, अब थाना और कलेक्टर करते हैं, एमएलए और एमपी करते हैं और मंत्री करते हैं। पहले न्याय इनके टोल टैक्स और सिंडिकेट वाले करते थे, अब न्याय अदालत में होता है। पहले बहने, महिलाएं फरियाद नहीं कर पाती थी, अब वे बेरोकटोक बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ फरियाद करने से नहीं डरती हैं। 5 साल पूरे होने से पहले विवेकानंद जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम बाबू की कल्पना वाले सोनार बांग्ला का हम निर्माण कर पाएंगे।

आरके / आरआर / पीआर

(रिलीज़ आईडी: 2302115) आगंतुक पटल : 348
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English